भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2527**
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

**समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे**

†2527. **डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे जिले तथा शिरूर क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए समावेशी शिक्षा को मजबूत करने हेतु विशेष कदम, जिनमें सहायक उपकरण, घर पर शिक्षा, विशेष शिक्षक तथा निर्बाध अवसंरचना शामिल हैं, उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र और शिरूर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सीडब्ल्यूएसएन की पहचान की गई है, कितने बच्चों का नामांकन किया गया है और उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है:
(ग) उक्त राज्य, विशेषकर पुणे जिले में स्वीकृत और चल रहे आदर्श समावेशी विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उनके चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने शिरूर सहित उक्त राज्य में सीडब्ल्यूएसएन के अधिगम संबंधी परिणामों, प्रतिधारण और भागीदारी के स्तर का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, विशेष रूप से शिरूर में सीडब्ल्यूएसएन को छात्रवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास या रोज़गार की दिशा में सुचारू रूप से अंतरण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र और शिरूर सहित अन्य मंत्रालयों के साथ तालमेल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (ग): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन), जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) में

उल्लेख किया गया है, को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, इस प्रयास में केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा (आईई) घटक क्रियान्वित किया गया है। कई कार्यक्रमों जैसे पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायक उपकरण, उपकरण और सहायक यंत्रों का प्रावधान, परिवहन, लेखक और एस्कॉर्ट भत्ता, ब्रेल और बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा, सीडब्ल्यूएसएन के लिए खेल और एक्सपोजर यात्राएं, शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम)/संसाधन पैकेज आदि, विशेष शिक्षा शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, विशेष शिक्षकों के वेतन के लिए संसाधन सहायता, गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए घर आधारित शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अनुकूल अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

यूडाइज+ के अनुसार, गत पांच वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बाल एवं शिशु सहायता (सीडब्ल्यूएसएन) नामांकन का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। यूडाइज+ के अनुसार, विगत पांच वर्षों के लिए पुणे जिले का सीडब्ल्यूएसएन नामांकन इस प्रकार है:

| **वर्ष** | **सीडब्ल्यूएसएन नामांकन** |
|---|---|
| 2024-25 | 13218 |
| 2023-24 | 12821 |
| 2022-23 | 13342 |
| 2021-22 | 14360 |
| 2020-21 | 17418 |

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समावेशी और समान शिक्षा की परिकल्पना के अनुरूप, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बच्चे को दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सभी प्रावधान सामूहिक रूप से सभी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे की पूर्ण भागीदारी, बाधा रहित पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। सरकार देशभर के सभी मौजूदा सरकारी स्कूलों को समावेशी स्कूलों के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

(घ): महाराष्ट्र राज्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा जारी रखने के लिए ड्रॉपआउट का पता लगाने और रोकथाम हेतु यूडाइज+ डेटा का उपयोग करता है, और उनके अधिगम

परिणामों की निगरानी और सुधार के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) और आवधिक मूल्यांकन परीक्षण (पीएटी) का उपयोग तेजी से कर रहा है। जिला स्तर पर, केस स्टडी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, गृह भ्रमण और विशेष शिक्षकों द्वारा आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से अधिगम, शिक्षा जारी रखने और सहभागिता की निगरानी की जाती है। निष्कर्ष बताते हैं कि मुख्यधारा के विद्यालयों में अधिकांश सीडब्ल्यूएसएन लगातार प्रगति कर रहे हैं, जिनमें हल्की सी मध्यम विकलांगता वाले विद्यार्थी सक्रिय रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जबकि गंभीर विकलांगता वाले विद्यार्थी गृह-आधारित शिक्षा और चिकित्सा से अधिक लाभान्वित होते हैं। एससीईआरटी पुणे द्वारा शिक्षकों के लिए नियमित वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, और डीआईईटी शिरूर सीडब्ल्यूएसएन के लिए शिक्षण विधियों और मूल्यांकन पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए पाँच दिवसीय मॉड्यूल का संचालन करता है। विशेष शिक्षक शैक्षणिक चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी शिक्षण कार्यनीतियों पर शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए विद्यालय स्तर पर निरंतर सहायता भी उपलब्ध कराते हैं।

(ड): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समन्वय में कार्य करते हैं ताकि एडीआईपी-एसएसए योजना के माध्यम से समय पर सहायक उपकरण, सहायता सामग्री, उपकरण और टीएलएम उपलब्ध कराए जा सकें, ब्लॉक स्तर पर पहचान एवं मूल्यांकन शिविरों आदि का आयोजन किया जा सके।

****

**अनुलग्नक-I**

**माननीय सांसद डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2527 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

**यूडाइज+ के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीडब्ल्यूएसएन नामांकन**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 595 | 527 | 741 | 724 | 772 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 88252 | 92262 | 88502 | 76620 | 89608 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3289 | 3038 | 3006 | 3007 | 3089 |
| 4 | असम | 59596 | 55243 | 58890 | 56841 | 56454 |
| 5 | बिहार | 141314 | 177989 | 163322 | 165343 | 181200 |
| 6 | चंडीगढ़ | 3492 | 3755 | 3891 | 4050 | 3602 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 67768 | 77249 | 79619 | 83719 | 73645 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2493 | 1178 | 1137 | 1126 | 1201 |
| 9 | दिल्ली | 29178 | 27026 | 22530 | 35877 | 38384 |
| 10 | गोवा | 2099 | 3779 | 4538 | 4341 | 4571 |
| 11 | गुजरात | 81616 | 73912 | 67072 | 62121 | 61569 |
| 12 | हरियाणा | 25828 | 25718 | 22418 | 19352 | 21625 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 6751 | 6864 | 6463 | 5984 | 6170 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 22736 | 19867 | 19054 | 17993 | 20534 |
| 15 | झारखंड | 53118 | 51665 | 35765 | 49346 | 50126 |
| 16 | कर्नाटक | 98371 | 98961 | 100482 | 88701 | 85872 |
| 17 | केरल | 139443 | 138413 | 134223 | 123877 | 123600 |
| 18 | लद्दाख | 572 | 1052 | 630 | 622 | 626 |
| 19 | लक्षद्वीप | 267 | 208 | 194 | 198 | 190 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 121475 | 139258 | 143560 | 146932 | 153821 |
| 21 | महाराष्ट्र | 280574 | 260251 | 243496 | 234489 | 233791 |
| 22 | मणिपुर | 4451 | 4759 | 4183 | 4065 | 4265 |
| 23 | मेघालय | 4975 | 4601 | 3888 | 3252 | 3421 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | मिजोरम | 4195 | 3976 | 4057 | 3874 | 3828 |
| 25 | नागालैंड | 2280 | 4084 | 2458 | 1667 | 1744 |
| 26 | ओडिशा | 103058 | 146512 | 97030 | 93467 | 91631 |
| 27 | पुडुचेरी | 1675 | 2288 | 1543 | 1219 | 1235 |
| 28 | पंजाब | 67483 | 66776 | 61302 | 51415 | 53761 |
| 29 | राजस्थान | 84059 | 80910 | 80790 | 69591 | 70200 |
| 30 | सिक्किम | 1555 | 1320 | 1130 | 1025 | 998 |
| 31 | तमिलनाडु | 163570 | 156359 | 140842 | 142697 | 140803 |
| 32 | तेलंगाना | 43680 | 40014 | 33063 | 81240 | 72672 |
| 33 | त्रिपुरा | 3700 | 3914 | 3949 | 3243 | 3318 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 317212 | 327385 | 322969 | 316406 | 333862 |
| 35 | उत्तराखंड | 5285 | 5080 | 4680 | 4645 | 5209 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 155193 | 160599 | 145795 | 155041 | 151861 |
| | कुल योग | 2191198 | 2266792 | 2107212 | 2114110 | 2149258 |

**अनुलग्नक -II**

**माननीय सांसद डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2527 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

**वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक संचार घटक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित परिव्यय**

(रुपये लाख में)

| क्र. सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 84.83 | 119.08 | 167.362 | 155.8015 | 195.78 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 8038.89 | 8086.857 | 10195.485 | 9174.42726 | 9194.15 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 643.75 | 661.06 | 716.61884 | 785.809 | 804.07 |
| 4 | असम | 4045.86 | 4049.73 | 4693.19508 | 4300.7871 | 4477.10 |
| 5 | बिहार | 4788.458 | 6315.39032 | 6149.938 | 9237.01724 | 7705.45 |
| 6 | चंडीगढ़ | 232.14 | 342.16 | 308.22012 | 320.12012 | 304.17 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1923.02 | 1383.5 | 3179.945 | 3702.945 | 3756.21 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | दिल्ली | 3595.69 | 5230.83 | 5467.23836 | 5210.18814 | 5336.43 |
| 10 | दमन और दीव | 116.11 | 112.94 | 109.1195 | 112.229 | 123.95 |
| 11 | गोवा | 118.83 | 135.52 | 123.95132 | 107.00332 | 113.64 |
| 12 | गुजरात | 8929.78 | 8762.361 | 9514.8765 | 10161.25632 | 8069.05 |
| 13 | हरियाणा | 2432.16 | 2195.824 | 2685.626 | 2655.2087 | 2726.81 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 983.93 | 926.37 | 944.721 | 1100.47276 | 1110.45 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 1022.59 | 1040.55 | 1071.16277 | 919.275 | 1287.30 |
| 16 | झारखंड | 1114.71 | 2451.26092 | 1807.09394 | 1988.059 | 2029.48 |
| 17 | कर्नाटक | 6391.15 | 6393.67 | 5434.29 | 5955.26 | 5313.88 |
| 18 | केरल | 12329.89 | 11673.45 | 13019.03 | 13350.81 | 12930.07 |
| 19 | लद्दाख | 46.46 | 47.02 | 67.981 | 55.59 | 68.49 |
| 20 | लक्षद्वीप | 48.82 | 50.73 | 59.279 | 48.51 | 47.69 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 3857.18 | 4126.5675 | 5244.435 | 5375.7712 | 6349.43 |
| 22 | महाराष्ट्र | 12935.04 | 16213.54 | 19766.6115 | 19010.862 | 18904.73 |
| 23 | मणिपुर | 597.97 | 507.61 | 725.68 | 675.842 | 653.07 |

| क्र. सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | मेघालय | 363.34 | 422.512 | 438.81844 | 433.432 | 424.77 |
| 25 | मिजोरम | 466.33 | 470.31 | 553.69234 | 526.3139 | 504.27 |
| 26 | नागालैंड | 168.47 | 187.76 | 201.01 | 206.551 | 203.80 |
| 27 | ओडिशा | 3995.15 | 3169.67 | 5899.106 | 7418.016 | 6593.31 |
| 28 | पुडुचेरी | 112.78 | 117.83 | 109.9471 | 136.845 | 126.53 |
| 29 | पंजाब | 3394.30324 | 2997.589 | 3313.192 | 3683.1748 | 3606.03 |
| 30 | राजस्थान | 4154.67 | 4643.39 | 6312.8105 | 5949.2065 | 6053.23 |
| 31 | सिक्किम | 281.38 | 213.53 | 268.21119 | 295.4232 | 205.79 |
| 32 | तमिलनाडु | 9143.09 | 10855.82 | 8116.44 | 10336.572 | 10715.21 |
| 33 | तेलंगाना | 3581.64 | 3481.27 | 4022.06712 | 3639.06812 | 4040.69 |
| 34 | त्रिपुरा | 387.0025 | 487.96 | 872.405 | 885.6274 | 1021.12 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 10256.4646 | 8715.6864 | 8989.72275 | 11073.9689 | 11686.58 |
| 36 | उत्तराखंड | 378.9 | 270.97 | 560.87283 | 497.62 | 349.72 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 5631.53 | 5760.82 | 8168.96291 | 7555.70815 | 7458.56 |
| **कुल योग** | | **116592.30** | **122621.13** | **139279.11** | **147040.7716** | **144491.01** |

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (इसमें बीआरसी/यूआरसी के माध्यम से शैक्षणिक सहायता के तहत कवर किए गए सीडब्ल्यूएसएन के लिए बीआरपी के लिए सहयोग शामिल है)।